

2020/0007
07/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री... हंसराज...

हलका... भूका... वडातसिंह

पुत्र श्री... सुरकाश... जाति... मेठवाल

निवासी- भूका... वडातसिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 78 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका... भूका... वडातसिंह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा... के खसरा नंबर 27/3 रकबा... किस्म भूमि... पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है. अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपास्थित। पीछलीन अधिकारी साक्षीय कार्य हेतु जोधपुर पंचारे को पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है।	हंसराज
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपास्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समस्त न्याय को डिमा जाकर पत्रावली दिनांक 27-01-2021 को पेश है।	हंसराज

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

27-01-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सामल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जनरल हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दि-10-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

10-2-2021 पत्रावली पेश हुई। पीतालीग अधिकारी आठ उमुटी पर सिवाना पधारें है। पत्रावली दिमांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल को जवाब हेतु मन्त्रिम भवत दिनांक पत्रावली दिमांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित। गैर सामल को बार-बार भवत दिनांक के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गैर सामल के मन्त्रिम मानते हुए पत्रावली के लाल सुगार है। निर्णय मन्त्रिम से लिखा जाकर शांति पत्रावली है। पत्रावली के लाल सुगार होकर शांति देफतार है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर